

अतः पत्रापत्ता जारी या पत्रापत्ता जारी  
को पेश हो।

24/12  
20

पत्रापत्ता प्रान्तुल | वकील साधिपि।  
उप. | वकील साधिपि। की अनिद वरुद



सुनी गई पत्रावली में जलन भूत भूत निरीक्षण  
 वृत्त नाहरपाली ज्ञाप प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, कर्ष  
 मौका एवं नजदी नम्बरा का अवलोकन किया।  
 पत्रावली में जलन भूत भूत निरीक्षण क्षेत्र नाहरपाली  
 काली की मौका रिपोर्ट के अनुसार शार्दिना  
 पीप देरी के शार्दिना फा में शक्तिर फ० नं. २५/६६  
 के सबे के चिपते फ० नं. -२५/५३ के (कद  
 मौका पुलाबिक) शार्दिना के पति कच्यन सिंह  
 के भाई कर्षियों के नाम से २५.०० बीघा  
 कर्षि भूमि है। इनके चिपते फ० नं.  $\frac{२५}{५५}$ ,  $\frac{२५}{३७}$ ,  
 $\frac{२५}{२९}$ ,  $\frac{२५}{२१}$  प्रत्येक पांचो मुरबे के शता २५ के  
 ५-५ बिन्दा शान्ता लीकल है। फ० नं.  $\frac{२५}{५३}$  व  
 $\frac{२५}{५५}$  में शान्ता की लफ उच्ये रेगीले रिबे है  
 जिनके काण उमर दोनो मुरबों में लीकल  
 शान्ता अकल है। शार्दिना वरिमान में पडोफ  
 के चिपते फ० नं.  $\frac{२५}{५५}$  के खामी किला नं.  
 ६, ७, ८, ९, १०, ११, २० में ले एकर  $\frac{२५}{३७}$ ,  $\frac{२५}{२९}$ ,  
 $\frac{२५}{२१}$  के लीकल सुडा व चाल शान्ता से ही  
 अपनी इमि भूमि से आना जाना कल है। नकीन  
 शान्ता के शान्ताक पम्ही रोड के नजदीक होने  
 के काण केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए  
 है।

अतः भूत भूत निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट  
 है कि शार्दिना के पास अपनी इमि भूमि  
 में आवागमन हेतु विकल्पित शान्ता के फुड है।  
 शार्दिना पोता सा आक का फ० नं.  $\frac{२५}{५३}$  का  
 $\frac{२५}{५५}$  में लीकल शान्ता से अकल को एकर  
 आवागमन से अपनी ओर से आवागमन का  
 करनी है। शार्दिना ज्ञाप शार्दिना-फा के मारफु

से चाला गया नहीं रातों रातों प्रार्थना के लिए  
आधुनिक आवयक्त न होकर केवल सुविधाजनक  
उपयोग के लिए है। जिसे चाल 257 A के साथ-साथ  
एवं निम्नो के तहत स्वीकृत किया जाना अपेक्षित  
प्रतीत नहीं होता है एवं प्रार्थना निरस्त किसे  
जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र-संकेत  
अप्रार्थी सं-4 की कृषि कृषि-पत्र-3 NM.  
(दोष) तह अन्वय का मु. नं. 68 प. सं-24/60  
के किला 5 एवं 6 में 10-10 फुट रातों स्वीकृत  
करके का आदेश किया जाया है। प्रार्थना  
निम्नानुसार दायित्व दत्त हो नम्बर के  
कर है।

निर्णय से अलाह सुभाषा राधा

(पवन कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़